यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला प्रोबेशन अधिकारी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला प्रोबेशन अधिकारी, देहरादून** के माह 05/2012 से माह 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 04.09.2018 से 11.09.2018 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मकः**– इस इकाई की स्थापना से वर्तमान तक प्रथम बार लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी जिसमें लेखापरीक्षा में माह 05/2012 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत जनपद में समाज के निराश्रित एवं कमजोर वर्ग के महिलाओं एवं वच्चों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। राज्य में निराश्रित महिलाओं एवं बालक, बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा में जोडे जाने तथा उनका पुर्नवासन किये जाने हेतु महिला कल्याण विभाग का पृथक से गठन किया गया है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2012-13	Nil	Nil	164.10	149.09	15.01	1084.02	1083.83	0.19
2013-14	Nil	Nil	167.32	155.43	11.84	1311.34	1311.06	0.28
2014-15	Nil	Nil	209.53	181.68	27.86	4317.45	4316.83	0.62
2015-16	Nil	Nil	218.14	191.35	26.79	3274.69	2300.23	974.46
2016-17	Nil	Nil	247.93	222.79	24.66	2643.63	2207.54	436.09
2017-18	Nil	Nil	356.02	344.03	11.99	2551.09	2442.12	108.98
2018-19	Nil	Nil	352.83	168.43	184.40	671.21	567.32	103.89

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ₹ लाख में)

योजना का नाम	2016–17			2017–18		
	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय
विधवा पेंशन योजना	Nil	18.30	18.30	Nil	19.44	19.44

(iii) इकाई को बजट आबंटन **निदेशक, समाज कल्याण** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**ब**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, महिला कल्याण ⟶ मुख्य परीवीक्षा अधिकारी ⟶ जिला प्रोबेशन अधिकारी

(iv)**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में **जिला प्रोबेशन अधिकारी, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला प्रोबेशन अधिकारी, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015, 03/2016 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। विधवा पेंशन योजना, गौरा देबी कन्याधन योजना, निराश्रित एवं परित्यक्ता पेंशन तथा कार्यालय के अन्तर्गत संचालित विभिन्न संस्थाओं जैसे नारी निकेतन, बाल संप्रेक्षण गृह, राजकीय शिशु शाला आदि का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 1 गौरा देबी कन्याधन योजनान्तर्गत 07 बालिकाओं को धनराशि रु0 2.75 लाख का दोहरा भुगतान किया तथा 655 पात्र बालिकाओं को दो वर्ष व्यतीत होने पर भी लाभान्वित न किया जाना।

शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत सामान्य जाति वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की अथवा ग्रामीण क्षेत्रों जिनकी वार्षिक आय रु0 15976 एवं शहरी क्षेत्रों में रु0 21206 से अधिक न हो, के परिवारों को बालिकाओं को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर लाभान्वित किया जाएगा। योजनान्तर्गत चयनित प्रति छात्रा को रु0 25000 की धनराशि का तीन से पाँच वर्षो के लिए सावधि जमा प्रदान की जाएगी। शासनादेश मार्च 2014 के द्वारा वर्ष 2014–15 से सावधि जमा की धनराशि बढाकर रु0 50000 कर दी गयी थी। प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह तक प्राप्त आवेदन पत्रों में पात्र बालिकाओं का चयन तथा चयनित सूची का प्रकाशन 30 अक्टूबर तक कर दिया जाएगा। छात्राओं को धनराशि स्वीकृत होने के अधिकतम एक माह की अवधि के अन्दर एन.एस.सी./एफ. डी. रजिस्टर्ड पोष्ट के माध्यम से उसके निवास स्थान पर ही प्राप्त करवानी आवश्यक होगी।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, देहरादून के योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2012–13 से 2018–19 तक की अवधि में रु0 4282.96 लाख का आवंटत प्राप्त हुआ तथा उक्त अवधि में रु0 3937.46 लाख का व्यय करते हुए कुल 7955 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2012–13 से 2014–15 में कुल 07 बालिकाओं को निम्न विवरणानुसार दोहरा भुगतान कर कार्यालय द्वारा धनराशि रु0 2.75 लाख का अधिक भुगतान किया गया है ***(विवरण संलग्न)***।

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2012–13 से 2014–15 के दौरान 05 पात्र बालिकाओं को धनराशि रु0 1.50 लाख के सावधि जमा कार्यालय द्वारा प्रेषित किये गये थे। पता आदि गलत होने के कारण उक्त सावधि जमा कार्यालय को वापस प्राप्त हुए थे परन्तु उन बालिकाओं को पुनः सही पता ज्ञात कर सावधि जमा की प्रति वर्तमान तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्ष 2012–13 के एक बालिका की सावधि जमा रु0 25000 एक दम्पत्ति की तीसरी बालिका होने के कारण वापस प्राप्त हुआ था जिसे चार वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी वर्तमान तक प्राप्ति मद में जमा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त 11/2017 से 04/2018 के मध्य पात्र बालिकाओं को भुगतान करते समय 27 बालिकाओं के खाते आदि गलत होने के कारण बैंक/कोषागार द्वारा रु0 13.50 लाख की धनराशि कार्यालय को वापस किये गये थे जिसे उन बालिकाओं से सही खाते प्राप्त कर पुनः लाभान्वित नहीं किया गया है। इस प्रकार से उपरोक्त विवरणानुसार

कुल 32 बालिकाओं (05 बालिका + 27 बालिका) को धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी वर्तमान तक लाभान्वित नहीं किया गया था।

कार्यालय द्वारा प्राप्त आवंटन की धनराशि को बचत खाते में रखा जाता है जिस पर वर्तमान तक रु0 1.411 लाख का व्याज के रुप में अर्जित हुआ था। इस व्याज की धनराशि को भी कार्यालय द्वारा प्राप्ति मद में जमा नहीं किया गया है तथा धनराशि वर्तमान तक संचालित बैंक खाते में अवशेष के रुप में रक्षित है। यह भी पाया गया कि वर्ष 2016–17 में उत्तीर्ण एवं सभी प्रकार से पात्र 655 बालिकाओं को वर्तमान तक कार्यालय द्वारा लाभान्वित नहीं किया गया था जबकि स्वीकृति के अधिकतम एक माह के अन्तर्गत बालिका को लाभान्वित किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में अवगत कराया कि दोहरा भुगतान की गयी बालिकाओं से वसूली की कार्यवाही गतिमान है तथा 655 बालिकाओं को लाभन्वित न किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया कि धनराशि के अभाव में भुगतान नहीं हो सका है तथा धनराशि की मॉग हेतु प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किया गया है।

अतः गौरा देबी कन्याधन योजनान्तर्गत 07 बालिकाओं को धनराशि रु0 2.75 लाख का दोहरा भुगतान किया तथा 655 पात्र बालिकाओं को दो वर्ष व्यतीत होने पर भी लाभान्वित न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर :2- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के विरुद्ध 40 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को रा सा स का के अंतर्गत विधवा पेंशन स्वीकृत करने के कारण ₹ 1.76 लाख की अनुचित केंद्रीय सहायता प्राप्त करना।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2014 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम रा.सा.स.का. के दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिसके अनुसार बीपीएल श्रेणी की 40 से 64 आयु वर्ग की विधवाओं के लिए पेंशन दी जा रही थी व विधवा पेंशन के लिए वांछनीय आयु 40 वर्ष हैं तथा 40 वर्ष की आयु से ₹ 300 प्रति माह की दर से व 80 वर्ष की आयु होने पर उन्हे ₹ 500 प्रति माह की दर से पेंशन की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी, उत्तराखंड शासन द्वारा मई 2016 में पेंशन की राशि बढ़ाकर ₹ 1000/ प्रति माह कर दी गई जिसमे ₹ 300/ की केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है।

जनपद के विधवा पेंशन से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि जनपद में 18449 महिलाओं को विधवा पेंशन दी जा रही है जिसमे से 513 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से संबद्ध है आगे जांच में पाया गया कि इन 513 लाभार्थियों में से 11 लाभार्थियों को 40 वर्ष से कम की आयु में भी विधवा पेंशन स्वीकृत कर दी गई है, जो कि नियम विरुद्ध है, तथा इन लाभार्थियों के लिए वर्तमान तक ₹ 1,76,100/ की केन्द्रीय सहायता ली जा चुकी है (विवरण संलग्नक में)

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुये उत्तर दिया कि प्रकरणो की पुनः जांच करके नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

एनएसएपी के अंतर्गत विधवा पेंशन के ऐसे लाभार्थियों की सूची जिन्हे 40 वर्ष से कम की आयु में पेंशन स्वीकृत की गई है

क्रमांक	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	पति/पिता का नाम	वर्तमान आयु	स्वीकृति माह	स्वीकृति के समय आयु	केन्द्रीय सहायता
1	WR 3502002033001 00007	किरण	नरेश शर्मा	40	जनवरी 2013	35	20,100 (67x300)
2	WR350200301500 100053	रीना देवी	प्रमोद कुमार	43	जनवरी 2013	38	20,100 (67x300)
3	WR350200302500 100059	रज्जो	गुड्डू	44	जुलाई 2013	39	18,600 (62x300)
4	WR350200302500 100060	पूनम देवी	मदन सिंह	44	जुलाई 2013	39	18,600 (62x300)
5	WR 3502004015001 00012	प्रकाश कौर	पुष्पपाल सिंह	44	जनवरी 2013	39	20,100 (67x300)
6	WR 350200402800 100067	देवी	जयेन्द्र सिंह	39	अप्रैल 2015	36	12,300 (41x300)
7	WR 3502004047001 00007	इन्दु	ईश्वर सिंह	39	जुलाई 2013	34	18,600 (62x300)
8	WR 350200500600 100031	सीता देवी	जय सिंह	43	जनवरी 2013	38	20,100 (67x300)
9	WR 350200603500 100091	अकलु बीबी	फिरोज दीन	43	जुलाई 2013	38	18,600 (62x300)
10	WR 350200604400 100054	शिवानी	विजय सिंह	34	जून 2017	33	4500 (15x300)
11	WR 350200605100 100116	लक्ष्मी देवी	भास्कर सिंह नेगी	40	जून 2017	39	4500 (15x300)
योग							1,76,100/

भाग दो 'ब'

प्रस्तर :–3 राजकीय आवासीय संस्थाओं में सामग्री आपूर्ति एवं भोजन व्यवस्था के व्यय रु. 80.56 लाख में निर्धारित निविदा प्रक्रिया का पालन न किया जाना।

उत्तराखण्ड प्रक्योरमेन्ट नियमावली 2008 के अध्याय 01 के बिन्दु 04 में स्पष्ट प्रवधान है कि अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, प्रकार मात्रों अदि विशिष्टताए (Trade mark) स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए। अध्याय 02 के बिन्दु 10 में प्रावधान है कि ऐसी सामाग्री और मदो के लिए, जिन्हे सामान्य उपयोग की मदो के रूप चिन्हित किया गया है और जिनकी विभागो और एजेन्सियों को बार–बार आवश्यकता होती है ऐसे सामाग्री के लिए दर संविदा की जानी चाहिए।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी देहरादून द्वारा संचालित राजकीय संस्थाओं के वर्ष 2012–13 से 2017–18 के अभिलेखो एवम बाउचर की जाँच में पाया गया कि संस्थान द्वारा सामग्री आपूर्ति/भरण पोषण में निम्न व्यय किया गया है:–

वर्ष	नारी निकेतन/शरणालय	शिशु सदन	बालिका निकेतन	सम्प्रेक्षण गृह	महायोग
2012–13	157977	49834	66912		
2013–14	234804	74993	74933	20000	
2014–15	331600	125000	149815	130585	
2015–16	651572	99844	59020	20000	
2016–17	277133	85671	69076	42823	
2017–18	89111	179569	115684	15290	
योग	**1742197**	**614911**	**535440**	**228698**	**3121246**

यह संज्ञान में आया कि संस्था द्वारा उक्त वर्षो में समस्त सामग्री की आपूर्ति बिना दर संविदा के की गयी जो कि प्रक्योरमेन्ट नियमावली का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रकाश में आया कि बाउचरो में सामग्रियों की विशिष्टताओं (Trade mark) का भी उल्लेख नही किया गया है। जिससे बाउचरो में एक ही सामग्री अलग–अलग मूल्य अंकित किया गया। क्रय की सामग्री किस ब्रान्ड की है एवं सामग्री का वास्तविक मूल्य क्या है बाउचरों में विशिष्टताओं (Trade mark) का न होने के कारण सामग्री मे मूल्य का आंकलन करना संभव नही है। जबकि यदि विभाग द्वारा वर्ष में प्रारम्भ में ही दर संविदा किया होता है इस प्रकार की विसंगतियों से भी बचा जा सकता था। नियमावली का अनुपालन न करने के कारण

संस्थाओं द्वारा सामग्री क्रय में धनराशि के दुरूपोयग होने की सम्भावना से भी इंनकार नही किया जा सकता है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने कहा कि नियमावली का पालन किया जाएगा। विभाग के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि होती है।

(2) समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित आवासीय संस्थाओं में भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में जारी शासनादेश (जनवरी/2009) में स्पष्ट प्रवधान है कि महिला कल्याण/समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न आश्रम पद्वति विद्यालय तथा 25 एवं उससे अधिक संवासियों/संवासिनियों के समस्त आवासीय संस्थाओं में भोजन व्यवस्था निविदा के आधार पर Outsource के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी देहरादून द्वारा संचालित संस्थाओं के भोजन अभिलेखों की जाचॅ में पाया गया कि वर्ष 2012–13 से 2017–18 तक समस्त वर्षो के मार्च माह के अन्त में संस्थाओं में संवासियों/संवासिनियों की सख्या 25 से अधिक थी एवं भोजन व्यवस्था पर निम्न व्यय किया गया :–

	शिशु सदन		**बालिका निकेतन**		
वर्ष	संवासिनियों की सख्यॉ	व्यय धनराशि	संवासिनियों की सख्यॉ	व्यय धनराशि	**महायोग**
2012–13	28	234189	40	554837	
2013–14	34	349266	39	563644	
2014–15	39	596790	33	798367	
2015–16	34	248076	31	651143	
2016–17	31	341291	28	461536	
2017–18	36	136193	–––		
योग		1905805		3029527	**4935332**

इस प्रकार उक्त वर्षो में प्रत्येक वर्ष संवासियों/संवासिनियों की सख्या 25 से ज्यादा थी। जिसके लिए शासनादेशानुसार निविदा के माध्यम से Outsource से संस्थाओं में भोजन व्यवस्था किया जाना चाहिऐ था। जिसका अनुपालन विभाग द्वारा नही किया गया। इस प्रकार उक्त वर्षो में दोनो संस्थाओं पर भोजन व्यवस्था बिना निविदा के ही प्रत्यक्ष रूप से बाजार दर पर क्रय कर रू 49.35 लाख का अनियमित व्यय किया गया जो कि शासनादेश की अवहेलना है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने कहा कि सदर्भित दोनों संस्थाओं को भोजन आर्पूती के लिऐ यथाशीध्र निविदा आमत्रित की जायेगी तदानुसार भोजन व्यवस्था की जायेगी।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्योकि शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान था कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित आवासीय संस्थाओं में 25 एवं उससे अधिक संवासियों/संवासिनियों की समस्त आवासीय

संस्थाओं में भोजन व्यवस्था निविदा के आधार पर Outsource के माध्यम से कराये जाये। जिसका अनुपालन विभाग द्वारा नही किया गया। जो की शासनादेश की अवहेलना है।

अतःराजकीय आवासीय संस्थाओं में सामग्री आपूर्ति पर रू 80.56 लाख का अनियमित व्यय करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
	इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी				

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

आभार

1. कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **जिला प्रोबेशन अधिकारी, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1	श्री राम अवतार सिंह	जिला प्रोबेशन अधिकारी अधिकारी	09.09.2012 से 31.07.2015 तक
2	श्री सुशील कुमार डोभाल	जिला प्रोबेशन अधिकारी अधिकारी	01.08.2015 से 26.11.2015 तक
3	श्रीमती मीना विष्ट	जिला प्रोबेशन अधिकारी अधिकारी	27.11.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला प्रोबेशन अधिकारी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.